

# उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) निदेशक मण्डल की षष्ठी बैठक दिनांक 29.10.2024 का कार्यवृत्त ।

पत्रांक 514 / प्र-1/007-नि०म०ब०-004/2024

दिनांक 05. 11.2024

निदेशक मण्डल के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् हैः-

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. डॉ० राज शेखर, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
3. डॉ० राजेश कुमार प्रजापति, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
4. श्री बृजराज सिंह यादव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5. श्री जय शंकर दुबे, विशेष सचिव (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
6. श्री शहजाद अहमद अंसारी, वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
7. श्री गिरिजेश कुमार, संयुक्त सचिव (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
8. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अपर निदेशक (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
9. श्री सर्वेश पाण्डेय, डी.पी.आर.ओ.(म०) (अधिकृत प्रतिनिधि), निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10. डॉ० मुकेश मातान्हेलिया, सं०निदेशक(अधिकृत प्रतिनिधि) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
11. श्रीमती विजेता, उप निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अन्तर्गत निम्नवत् मुख्य अभियन्ता उपस्थित हुये:-

1. श्री राम भवन राम, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. श्री सन्दीप कुमार, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निदेशक मण्डल के समस्त मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं मा० अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में प्रस्तुत एजेंडा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

मद सं०	एजेंडा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.01	मा०निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की पंचम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा पंचम बैठक दिनांक 21.02.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवृत्त बुक (रजिस्टर) में चर्चा कर मा० अध्यक्ष महोदय से अवलोकित करा लिया गया है।
06.02	मा०निदेशक मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) की पंचम बैठक के अनुपालन की स्थिति।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा पंचम बैठक दिनांक 21.02.2024 को लिये गये निर्णयों के अनुपालन को संज्ञान में लिया गया है।
06.03	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय आय/व्यय एवं अन्य विवरण के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेंडा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय आय/व्यय एवं अन्य विवरण के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान में लिया गया।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.04	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में दिनांक-30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवानिवृत्त तिथि के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेन्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में दिनांक – 30 जून /31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवानिवृत्त तिथि के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.05	06.05 (A) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के गठन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 09.09.2021 से 31.03.2022 तक) की बैलेंसशीट तथा आय–व्यय विवरण पत्र का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेन्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के गठन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 09.09.2021 से 31.03.2022 तक) की बैलेंसशीट तथा आय–व्यय विवरण पत्र का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
	06.05 (B) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैलेंसशीट तथा आय–व्यय विवरण पत्र का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेन्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैलेंसशीट तथा आय–व्यय विवरण पत्र का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।
06.06	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में राजस्व एवं कार्य मद हेतु संचालित बैंक खातों की रु० 1,00,00,000.00 (रु० एक करोड़) तक की धनराशि रथानान्तरण वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के एकल हस्ताक्षर से किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में राजस्व एवं कार्य मद हेतु संचालित बैंक खातों की रु० 1,00,00,000.00 (रु० एक करोड़) तक की धनराशि का रथानान्तरण वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के एकल हस्ताक्षर से किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.07	06.07 (A) स्व० वली उल्लाह (सेवानिवृत्त), मुख्य मानचित्रक की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	स्व० वली उल्लाह (सेवानिवृत्त), मुख्य मानचित्रक की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	06.07 (B) स्व० नरेश चन्द्र गोयल (सेवानिवृत्त), सहायक अभियन्ता की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	स्व० नरेश चन्द्र गोयल (सेवानिवृत्त), सहायक अभियन्ता की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।







मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.08	उ०प्र० जल निगम में लागू चिकित्सा नियमावली-2156 दिनांक-28.06.2016 के प्रस्तर-8.1 के अनुसार धनराशि रु० 05 लाख से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जाने वाला एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम में लागू चिकित्सा नियमावली-2156 दिनांक-28.06.2016 के प्रस्तर- 8.1 के अनुसार धनराशि रु० 05 लाख से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.09	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों/पेशनरों एवं उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा भत्ता समाप्त करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति अथवा कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	चिकित्सा भत्ता समाप्त करने का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया। चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कैशलेस (स्वारूप्य बीमा) के सम्बन्ध में निर्णय हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को अधिकृत करते हुये निर्देशित किया गया कि तदान्तर काल में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाती रहेगी।
06.10	06.10 (A) श्री मुकेश कुमार (सेवानिवृत्त) अधिशासी अभियन्ता की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान के लिए विलम्ब में शिथिलता प्रदान करने हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	श्री मुकेश कुमार (सेवानिवृत्त) अधिशासी अभियन्ता की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान के लिए विलम्ब में शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	06.10 (B) श्री प्रभुनाथ श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता की पत्नी श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान के लिए विलम्ब में शिथिलता प्रदान करने हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एजेण्डा नोट।	श्री प्रभुनाथ श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता की पत्नी श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव की निजी चिकित्सालय में कराई गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के भुगतान के लिए विलम्ब में शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.11	उ०प्र० जल निगम में लागू चिकित्सा नियमावली-2156 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार कराये गये उपचार में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किये जाने विषयक एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम में लागू चिकित्सा नियमावली-2156 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार विलम्ब में शिथिलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Vishayak  
2016-2017

(%)

(S)

(L)  
2

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.12	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के गठन के उपरान्त उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के वित्त एवं लेखा के महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत सेवानिवृत्त लेखाकारों की संविदा के आधार पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का एजेन्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के गठन के उपरान्त उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के वित्त एवं लेखा के महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत सेवानिवृत्त लेखाकारों की संविदा के आधार पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.13	श्री राज कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1 / सिविल) को संविदा के आधार पर दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक मुख्य सलाहकार (तकनीकी) के पद पर की गयी नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	श्री राज कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1 / सिविल) को संविदा के आधार पर दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक मुख्य सलाहकार (तकनीकी) के पद पर की गयी नियुक्ति के रूप में नियुक्ति किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
06.14	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति विषयक एजेण्डा नोट।	<p>अनुकम्पा नियुक्ति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं को समाहित करते हुये गठित कमेटी से पुनः वृहद परीक्षण कराते हुये मा० निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उ०प्र०शासन में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने की क्या व्यवस्था है।</li> <li>जल निगम के विभाजन के पूर्व के कितने मृतक आश्रितों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के गठन के उपरान्त कितने मृतक आश्रितों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>कोरोना काल के कितने मृत कार्मिकों के आश्रितों का प्रकरण अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचाराधीन है और तत्समय उनका नियुक्ति क्यों नहीं किया गया ?</li> <li>कार्यवृत्त पत्रांक 94, दिनांक 14.10.2024 में उल्लिखित विभागों से यह भी ज्ञात कर लिया जाय कि उनके विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कितने आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है।</li> </ol>

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
	2	3
06.15	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह-क, ख, ग, एवं घ के अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2024–25 की स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत समूह-क, ख, ग, एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र 2024–25 की स्थानान्तरण नीति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
06.16	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत विभागीय वाहनों को क्रय किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के अन्तर्गत विभागीय वाहनों को क्रय किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा०. निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
06.17 (A)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवारत कार्मिकों को दिनांक 01/01/2006 से अनुमन्य षष्ठ्म वेतनमान के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवारत कार्मिकों को दिनांक 01/01/2006 से अनुमन्य षष्ठ्म वेतनमान के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता लागू किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर वर्तमान में प्राप्त हो रहे 200 प्रतिशत महगाई भत्ते के स्थान पर 239 प्रतिशत महगाई भत्ता माह नवम्बर-2024 के वेतन से दिये जाने का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया ।
06.17 (B)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिनांक 01/01/2006 से अनुमन्य षष्ठ्म वेतनमान के अन्तर्गत मंहगाई राहत लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिनांक 01/01/2006 से अनुमन्य षष्ठ्म वेतनमान के अन्तर्गत मंहगाई राहत लागू किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर वर्तमान में प्राप्त हो रहे 200 प्रतिशत महगाई राहत के स्थान पर 239 प्रतिशत महगाई राहत माह नवम्बर-2024 के पेंशन से दिये जाने का अनुमोदन मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया ।

मा०. ११८

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.18 (A)	<p>अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना थू गोकुल बैराज पार्ट-1 के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप कृष्णा बिहार कॉलोनी, मथुरा में निर्मित अवर जलाशय, क्षमता 2500 किलो/20 मीटर स्टेजिंग के दिनांक 30.06.2024 को क्षतिग्रस्त होकर गिर जाने के सम्बन्ध में, श्री राम प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम— 351(ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना थू गोकुल बैराज पार्ट-1 के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप कृष्णा बिहार कॉलोनी, मथुरा में निर्मित अवर जलाशय, क्षमता 2500 किलो/20 मीटर स्टेजिंग के दिनांक 30.06.2024 को क्षतिग्रस्त होकर गिर जाने के सम्बन्ध में, श्री राम प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम— 351(ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।</p>
06.18 06.18 (B)	<p>अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना थू गोकुल बैराज पार्ट-1 के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप कृष्णा बिहार कॉलोनी, मथुरा में निर्मित अवर जलाशय, क्षमता 2500 किलो/20 मीटर स्टेजिंग के दिनांक 30.06.2024 को क्षतिग्रस्त होकर गिर जाने के सम्बन्ध में, श्री महाराज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम— 351(ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना थू गोकुल बैराज पार्ट-1 के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप कृष्णा बिहार कॉलोनी, मथुरा में निर्मित अवर जलाशय, क्षमता 2500 किलो/20 मीटर स्टेजिंग के दिनांक 30.06.2024 को क्षतिग्रस्त होकर गिर जाने के सम्बन्ध में, श्री महाराज सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम— 351(ए) एवं उ0प्र0 सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।</p>

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.18 (C)	जनपद—बलिया में कियान्वित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री डी०के० गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध नियम—351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद—बलिया में कियान्वित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री डी०के० गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध नियम—351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
06.18 (D)	जनपद—बलिया में कियान्वित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम बिहारी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध नियम—351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद—बलिया में कियान्वित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम बिहारी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध नियम—351 (ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।
06.18 (E)	जनपद—आगरा में 250 नग टैंक टाईप स्टैण्ड पोस्ट (टी०टी०एस०पी) एवं 150 नग टैंक टाईप स्टैण्ड पोस्ट (टी०टी०एस०पी०) के निर्माण अनियमितता करने के सम्बन्ध में श्री आर०के० शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम—351(ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।	जनपद—आगरा में 250 नग टैंक टाईप स्टैण्ड पोस्ट (टी०टी०एस०पी) एवं 150 नग टैंक टाईप स्टैण्ड पोस्ट (टी०टी०एस०पी०) के निर्माण अनियमितता करने के सम्बन्ध में श्री आर०के० शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध नियम—351(ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली—1961 के नियम—9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी।

26.11.22  
S

%

T

B

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.18 (F)	<p>कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, यूनीसेफ प्रोजेक्ट यूनिट, (वि०/य०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट में फर्म बीजकों का भुगतान समय न करने के कारण U.P. State MSME Kanpur द्वारा दिनांक 01.12.2021 को उक्त फर्म के पक्ष में कुल धनराशि रु० 45,68,648.00 (14,30,196.00 मूल धनराशि. 31,38,452.00 ब्याज) का भुगतान किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसमें ब्याज के मद में धनराशि रु० 31,38,452.00 सम्मिलित है, अतः वित्तीय हानि पहुँचने के सम्बन्ध में श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृत हेतु एजेण्डा नोट।</p>	<p>कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, यूनीसेफ प्रोजेक्ट यूनिट, (वि०/य०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट में फर्म बीजकों का भुगतान समय न करने के कारण U.P. State MSME Kanpur द्वारा दिनांक 01.12.2021 को उक्त फर्म के पक्ष में कुल धनराशि रु० 45,68,648.00 (रु० 14,30,196.00 मूल धनराशि एवं रु० 31,38,452.00 ब्याज) का भुगतान किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसमें ब्याज के मद में धनराशि रु० 31,38,452.00 सम्मिलित है, अतः वित्तीय हानि पहुँचने के सम्बन्ध में श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियम-351(ए) एवं उ०प्र० सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली-1961 के नियम-9(1) के अन्तर्गत संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गयी तथा प्रकरण में अपील योजित करने एवं फर्म को ब्याज के भुगतान हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) को अधिकृत किया गया।</p>

606.11.62 ~    

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.19	<p>कार्यालय यूनीसेफ प्रोजेक्ट यूनिट, (वि० / य००), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट में सिंगल राइजर आधारित सोलर डियूअल पम्प मिनी पाइप पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु बिना अनुमोदन के निविदा आमंत्रित, बिना शासनादेश / धनावंटन के कार्य अनुबन्ध बनाते हेतु कार्यदेश जारी करने, अनाधिकृत रूप से अनुबन्ध गठित करने के दृष्टिगत प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 472/007– 2020–02–0020 (ज्ञां०क्षे०) दिनांक 07.07.2022 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.09.2022 के निस्तारण हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष एजेण्डा नोट।</p>	<p>श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं० 472/007– 2020–02–0020 (ज्ञां०क्षे०) दिनांक 07.07.2022 से निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 12.09.2022 के संदर्भ में पंचम बैठक में मा० निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पुनः परीक्षण हेतु प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या–235/009– 2020–02–0020(बु०क्षे०) दिनांक 01.05.2024 द्वारा श्री राकेश कुमार, मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), झांसी को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी ने प्रश्नगत जांच का पुनः परीक्षण करते हुए अपने पत्रांक 119/गो०सा०/88 दिनांक 16.10.2024 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराई गयी उक्त आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में ज्ञाप सं० 472/007– 2020–02–0020 (ज्ञां०क्षे०) दिनांक 07.07.2022 से निर्गत दण्डादेश की वसूली सही प्रतीत होती है।</p> <p>श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा योजित अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने के कारण मा० निदेशक मण्डल द्वारा श्री यशवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गई।</p> <p>अतः ज्ञाप सं० 472/007–2020–02–0020 (ज्ञां०क्षे०) दिनांक 07.07.2022 से निर्गत दण्डादेश को यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया।</p>

✓

१

२

३

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
06.20 (A)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के मुख्यालय परिसर में स्थित Block B के नवीनीकरण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत Rs. 964.64 Lacs (Work cost – Rs 809.40 Lacs and GST & Labour Cess cost – Rs 155.24 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के मुख्यालय परिसर में स्थित Block B के नवीनीकरण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत Rs. 964.64 Lacs (Work cost – Rs 809.40 Lacs and GST & Labour Cess cost – Rs 155.24 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.20 (B)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के मुख्यालय परिसर में स्थित Block C के नवीनीकरण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत Rs. 854.33 Lacs (Work cost – Rs 716.84 Lacs and GST & Labour Cess cost – Rs 137.49 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के मुख्यालय परिसर में स्थित Block C के नवीनीकरण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत Rs. 854.33 Lacs (Work cost – Rs 716.84 Lacs and GST & Labour Cess cost – Rs 137.49 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.20 (C)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के मुख्यालय परिसर में Block D के पीछे प्रस्तावित Two-wheeler एवं Four wheeler पार्किंग के निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत Rs. 361.71 Lacs (Work cost – Rs. 303.50 Lacs and GST & Labour Cess cost – Rs. 58.21 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के मुख्यालय परिसर में Block D के पीछे प्रस्तावित Two-wheeler एवं Four wheeler पार्किंग के निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत Rs. 361.71 Lacs (Work cost – Rs. 303.50 Lacs and GST & Labour Cess cost – Rs. 58.21 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
06.21	स्व० संतोष कुमार, अधिशासी अभियन्ता के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट।	स्व० संतोष कुमार, अधिशासी अभियन्ता के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, उ०प्र०शासन से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया।







मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
	अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से	
06.22	पूर्ववर्ती उ०प्र० जल निगम की आस्तियों एवं दायित्यों के उ०प्र० जल निगम(नगरीय) एवं उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के मध्य विभाजन तथा विसंगतियों के निवारण हेतु सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा सज्ञान लिया गया एवं मा० निदेशक मण्डल के सज्ञानार्थ विषयक एजेण्डा नोट ।	पूर्ववर्ती उ०प्र० जल निगम की आस्तियों एवं दायित्यों के उ०प्र० जल निगम(नगरीय) एवं उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) के मध्य विभाजन तथा विसंगतियों के निवारण हेतु सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में मा० निदेशक मण्डल द्वारा सज्ञान लिया गया एवं मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01.11.2021 का अनुपालन एवं उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)/उ०प्र० जल निगम(नगरीय) के मध्य विभाजन से संबंधित विसंगतियों के निराकरण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में पुनः बैठक कराने हेतु मा० निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया ।
06.23	अनुबन्ध की लागत के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक के वैरियेशन की स्वीकृति हेतु मा० निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ एजेण्डा नोट ।	मा० निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को कमेटी गठित कर गठित कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के फलस्वरूप अनुबन्ध की लागत के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक के वैरियेशन की महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत (Case to Case) स्वीकृति करने एवं अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को अधिकृत किया गया ।

( डॉ० राजेश कुमार प्रजापति )  
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)/  
सचिव(प्रशासन)

( शहजाद अहमद अंसारी )  
वित्त निदेशक

( डॉ० राज शेखर)  
प्रबन्ध निदेशक

( अनुराग श्रीवास्तव )  
अध्यक्ष